



431

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अपील - एक / 16

सिंगर 2794-2/16

दिनांक 17-8-16 को
श्रीमती मन्ना लक्ष्मण शर्मा
का नाम से दायर हुआ।
17-8-16

P.V.S.
17/8/16

विशाल सिंह तनय श्री भवूदर यादव
निवासी ग्राम मैदवारा, तहसील जतारा
हाल लिधौरा, जिला टीकमगढ़, म0प्र0

-----अपीलार्थी

विरुद्ध

1- मध्यप्रदेश शासन -----प्रतिअपीलार्थी

2- कुन्दनलाल तनय हरप्रसाद यादव

निवासी ग्राम मैदवारा, तहसील जतारा,
हाल लिधौरा, जिला टीकमगढ़, म0प्र0

----- फॉरमलपक्षकार

अपील अंतर्गत धारा 44 म0प्र0, भू-राजस्व संहिता-1959 विरुद्ध आदेश दिनांक
29.01.1990 पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ के प्र0क्र0 अपील
71/अ-59/1988-89 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2794-एक/2016 जिला टीकमगढ़ विशाल विरूद्ध शासन व कुन्दनलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । आवेदक के द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 71/अ-59/1988-89 में पारित आदेश दिनांक 29-01-1990 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 17-08-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –</p> <p>“1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।”</p> <p>4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।</p> <p>5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका</p>	

hem
31-01-19

15

के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है। आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये।

3

(आर.के. जैन) 31-01-19
सदस्य